संख्या 11013/7/2001-स्था.(क)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 1 , 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- प्रशासन तथा संसद सदस्यों और विधायकों के बीच सरकारी काम-काज/ व्यवहार में उपयुक्त प्रक्रिया अपनाया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने संसद सदस्य द्वारा एक जिला कलक्टर के विरूद्ध , उनके विशेषाधिकार का हनन करने के संबंध में दिए गए नोटिस पर विचार किया है, जिसमें उन्होने आरोप लगाया है कि उनकी छवि धूमिल करने की दृष्टि से कलक्टर ने उनके होटल के उस कमरे की तलाशी के कथित आदेश दिए जिसमें वह रह रहे थे । समिति ने यह पाया कि इस मामले में दो बुनियादी प्रश्न उठते हैं :-

(i) क्या संसद सदस्य के होटल के कमरे की तलाशी उनकी अनुपस्थिति के दौरान की गई ; और

(ii) यदि तलाशी ली गई तो क्या यह कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाने की क निष्कपट कार्रवाई थी ।

2. के संबंध में समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि संसद सदस्य के कमरे की तलाशी उनकी अनु । अधिकारियों के दल के साथ उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई ।

3. दूसरे प्रश्न के संबंध में समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस मामले में जिला कलव पट नहीं कहा जा सकता । समिति ने खेदपूर्वक यह तथ्य भी प्रकट किया कि जिला कलक कार्रवाई से संसद सदस्य की छवि धूमिल हुई । समिति को यह जानकर भी अत्यंत हैरानी हुई कि पुलिस प्राधिकारियों ने इस मामले में संसद सदस्य द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की जाँच पड़ताल पूरा करने में दो वर्ष से भी अधिक समय लगा दिया ।

4. समिति ने दिनांक 21.3.2001 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दो सिफ़ारिशें की हैं :-

(i) जिला कलक्टर द्वारा बार-बार और अत्यन्त क्षमा याचना किए जाने के मद्देनज़र इस मामले में आगे और कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं हैं और इसे समाप्त कर दिया जाए ;

(ii) संघ सरकार, ऐसे प्रकरणों को दोहराए जाने पर रोक लगाने के लिए कार्यपालक अधिकारियों को उपयुक्त दिशा निर्देश /अनुदेश जारी करे और उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं ।

5. भारत सरकार ने हाल ही में प्रशासन और सांसदों और विधायकों के बीच सरकारी पत्र व्यवहार हेतु उपयुक्त कार्यवाही का अनुपालन किए जाने से संबंधित दिशा-निर्देशों को (देखें कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 23.5.2000 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/2000-स्था. (क)) द्वारा दोहराया है । इन अनुदेशों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि चूँकि सांसद और विधायक हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के मान्य प्रतिनिधि के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अतः उन्हें संविधान के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करने होतें हैं । इस संबंध में सांसदों , विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच संबंध नियमित करने की दृष्टि से कुछ सर्वमान्य सिद्धांत और परंपराएँ स्थापित की गई हैं । अग्रता अधिपत्र के अनुसार सांसदों का स्थान, भारत सरकार के सचिव के रैंक से ऊपर है । मौजूदा अनुदेशों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि वह जहाँ तक सम्भव हो सके सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुसार अपने अपने काम काज करने में सहायता प्रदान करें । यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी सांसदों के साथ पूर्णतया शिष्टता और सम्मान के साथ पेश आएं ।

6 इस मामले में विशेषाधिकार समिति ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को इस विषय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप नहीं माना है । सभी मंत्रालयों /विभागों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त कार्यवाही का अनुपालन किए जाने से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों और अनुदेशों का पालन सभी संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा पूरी तन्मयता से सुनिश्चित कराएं तथा विशेषाधिकार समिति द्वारा यथासूचित ऐसे प्रकरणों पर सावधानी पूर्वक और आत्म संयम बरत कर उनकी पुनरावृत्ति से बचें ।

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग , नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , नई दिल्ली ।
5. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
6. सभी संघ राज्य प्रशासन ।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
8. कार्मिक , लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय

(श्रीमती प्रतिभा मोहन)
निदेशक